सरकार बनाम अरमानराम
2025/471
निर्णय दिनांकः–05.12.2025

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2025/471 दर्ज तिथिः–06.03.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

................प्रार्थी

बनाम

1. अरमानराम पुत्र बागाराम
2. जयरामराम पुत्र धीमाराम
3. जोराराम पुत्र लुम्बाराम
4. देवीलाल पुत्र धीमाराम
   जाति विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी
5. धनराज पुत्र गणपत
6. प्रकाश पुत्र गणपत
7. मफीदेवी पत्नी गणपत
8. मिरगों पत्नी मोती
9. मिसरा पुत्र मोती
   जाति ब्राह्मण निवासी कांधी की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

............अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–स्वयं
अप्रार्थीगणः–श्री जगदीश कड़वासरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–05.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested

2021 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 1652 / 2 / 0.6961है0, 1653 / 2.6466 है0, 1642 / 1.8130 है0, 1646 / 9.3101 है0 मौजा कांधी की ढाणी पटवार हल्का गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में मौके पर चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। है। उक्त रास्ता को राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

2. प्रकरण में अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 05 ता 07 एवं 09 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अनुपस्थित अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 05 ता 07 एवं 09 जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया। अप्रार्थीगण संख्या 05 ता 07 एवं 09 दौराने बहस निवेदन किया उक्त कदीमी रास्ता मौके पर चालू नहीं होने से प्रार्थना खारिज किया जावे।

3. प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। इस संबंध मे उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 31.09.2021 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने की शक्तियां भू–अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त है। राज्य सरकार द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई है।

4. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर कोई कदीमी रास्ता चालू है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार बारहमासी कदीमी रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड को अद्यदित किए जाने के प्रावधान बनाए हुए है। उक्त प्रावधानों के संदर्भ में प्रकरण में मौके पर चालू बारहमासी कदीमी रास्ते को प्रकरण में मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09. 2021 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 1652/2/0. 6961है0, 1653/2.6466 है0, 1642/1.8130 है0, 1646/9.3101 है0 मौजा कांधी की ढाणी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested

पटवार हल्का गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर मौके पर चालू रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन माफिक प्रस्ताव अनुसार किए जाने का आदेश दिया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested